छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग – दो

रविवार, दिनांक 4 फरवरी, 2024 (माघ 15, 1945)

कार्यमंत्रणा समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य का नाम–निर्देशन

छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203 के उप नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 को कार्यमंत्रणा समिति के वर्ष 2023–2024 की शेष अवधि हेतु सेवा करने के लिए माननीय सदस्यों को नाम–निर्दिष्ट किया गया था।

उसी क्रम में माननीय अध्यक्ष, द्वारा श्री राम विचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन को कार्यमंत्रणा समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नाम–निर्दिष्ट किया गया है।

दिनेश शर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा